राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या –417/2017
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –4121/2016

आदेश दिनांकः– **30.11.2018**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री रामसिंह राठौड़
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री नितिन कुमार शर्मा

यह प्रार्थना पत्र लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट दिनांक 11.02.2017 को Recall करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

प्रार्थना पत्र के संबंध में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि प्रकरण में बीमा कंपनी को Exonerate किया गया था परन्तु यह तथ्य तत्समय ध्यान में नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा लोक अदालत में राजीनामा कर लिया गया । उनका यह भी तर्क है कि लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट दिनांक 11.02.2017 में भी बीमा कंपनी को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी का Breach होने पर या उसकी किन्हीं शर्तों की अवहेलना पाये जाने पर आदेश दिनांक 11.02.2017 को Recall किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगी ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के उक्त कथनों, जिनकी पुष्टि पंचाट दिनांक 11.02.2017 से होती है, को दृष्टिगत रखते हुए व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में अधिवक्ता अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 11.02.2017 Recall किया जाता है ।

सिविल विविध अपील संख्या 4121/2016 को पुनर्स्थापित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/ 18